दिनांक— 16.10.2019 को राज्य निःशक्तता आयुक्त, पटना, बिहार तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा द्वारा मधेपुरा नगर क्षेत्रान्तर्गत रेलवे स्टेशन, शहर में स्थित शॉपिंग कम्पलेक्स, सामुदायिक भवनों, सरकारी भवनों, होटलों, स्कूलों के भ्रमण के दौरान आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निदेशों के आलोक में दिव्यांगजनों हेतु मूलभूत सुविधाओं की बहाली के निमित्त लिए गये निर्णय।

---

(01) मधेपुरा रेलवे स्टेशन पर टिकट काउण्टर में से दिव्यांगजनों हेतु कोई काउण्टर नहीं था और न ही बने काउण्टर पर दिव्यांगजनों के जाने हेतु रैम्प सही ढ़ंग से बना हुआ था। साथ ही रेलिंग भी नहीं बना हुआ था। प्लेटफार्म पर दिव्यांगजनों के बैठने हेतु कोई स्थल निर्धारित नहीं था। साथ ही प्लेटफार्म पर दिव्यांगजनों हेतु ट्रेन की बोगी कहाँ रूकेगी, इस बारे में कोई चिन्ह नहीं दर्शाया गया था।

एक नम्बर प्लेटफार्म से दूसरे नम्बर के प्लेटफार्म पर जाने के लिए दिव्यांगजनों के लिए कोई सुविधा नहीं था।

राज्य आयुक्त निःशक्तता, पटना, बिहार द्वारा उपरोक्त विसंगतियों को 60 कार्य दिवस के अन्दर निराकरण करते हुए उसका अनुपालन प्रतिवेदन स्टेशन अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा देने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन— स्टेशन अधीक्षक, मधेपुरा रेलवे स्टेशन,
अनुपालन की समय सीमा 60 कार्य दिवस)

(02) मधेपुरा शहर स्थित वी—मार्ट शॉपिंग कम्पलेक्स, होटल यथा— मिडवे एवं होटल ग्रांड लखनऊ तथा महेश्वरी होटल, गुलजारबाग, वार्ड नं0— 20, मधेपुरा, होटल एस0के0, होटल मधेपुरा आदि इत्यादि के भ्रमण के दौरान दिव्यांगजनों हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का अभाव पाया गया, जो कि The Right of Person with Disability acts 2016 के सेक्सन–3 एवं सेक्सन–40 का उल्लंघन है। उपरोक्त वर्णित अधिकांश भवनों में दिव्यांगजनों हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं यथा— रैम्प (रेलिंग सहित), पार्किंग सुविधा, उपरी तल पर जाने हेतु रैम्प अथवा लिफ्ट, दिव्यांगजनों हेतु अलग से सुगम काउण्टर, शौचालय, यूरिनल के अन्दर तक व्हील चेयर से पहुँचने की सुगमता एवं कॅमोड की सुविधा का अभाव पाया गया। साथ ही शॉपिंग कम्पलेक्स एवं बड़े होटल में कम–से–कम 5 प्रतिशत स्टाफ दिव्यांगजन के रूप में कार्यरत नहीं थे। दिव्यांग ग्राहकों के बैठने हेतु तथा उनके सुविधाओं को इंगित करने हेतु चिन्ह (यथा— लिफ्ट में ब्रेल बटन) इत्यादि नहीं दर्शाए गये थे। आयुक्त महोदय द्वारा इससे नाखुशी जताई गई तथा उपरोक्त खामियों को 30 दिनों के अन्दर निराकरण करने का निर्देश दिया गया। आयुक्त महोदय द्वारा शॉपिंग कम्पलेक्स, होटल इत्यादि चलाने हेतु आवश्यक सभी तरह के अनुज्ञप्ति यथा (Trade Licence, Food Safety Licence, Fire Safety Licence, Weight & Measurement Licence, Light & Sound हेतु NOC) इत्यादि सभी जरूरी अनुज्ञप्ति की जाँच की गई तथा उसे Up to date/Renewal कराने तथा नहीं होने की स्थिति में अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन— सभी शॉपिंग कम्पलेक्स, होटल आदि।
अनुपालन की समय सीमा 30 कार्य दिवस)

Scanned with CamScanner

(03) मधेपुरा शहर स्थित सरकारी/निजी महाविद्यालय, विद्यालय एवं शिक्षण संस्थान यथा– टी0पी0कॉलेज, पार्वती साइन्स कॉलेज, कामर्स कॉलेज, मधेपुरा कॉलेज, लॉ कॉलेज, रासबिहारी उच्चतर माध्यामिक विद्यालय, शिवनन्दन प्र0 मण्डल उच्चतर माध्यामिक विद्यालय, टी0पी0 कॉलेजिएट उच्चतर माध्यामिक विद्यालय, केशव कन्या उच्चतर माध्यामिक विद्यालय, हॉली क्रास स्कूल, किरण पब्लिक स्कूल, जितेन्द्र पब्लिक स्कूल इत्यादि के भ्रमण के दौरान दिव्यांगजनों हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं यथा– रैम्प (रेलिंग सहित) दिव्यांगजनों हेतु अलग से सुगम काउंटर, शौचालय, यूरिनल के अन्दर तक व्हील चेयर से पहुँचने की सुगमता एवं कॅमोड की सुविधा का अभाव पाया गया। दिव्यांगजनों के बैठने खामियों को 60 दिनों के अन्दर निराकरण करने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन– जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा एवं कार्यपालक अभि0, भवन निर्माण विभाग, मधेपुरा, प्राचार्य निजी महाविद्यालय एवं प्रधानाध्यापक निजी स्कूल, मधेपुरा। अनुपालन की समय सीमा 60 कार्य दिवस)

(4) मधेपुरा शहर स्थित पथ निर्माण विभाग (RCD)/नगर परिषद द्वारा निर्मित रोड पर स्पीड ब्रेकर का निर्माण दिव्यांगजनों के आवागमन की सुविधा/ सुगमता को ध्यान में रखते हुए किए जाने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन–कार्यपालक अभि0, पथ निर्माण विभाग, (RCD) मधेपुरा। अनुपालन की समय सीमा 60 कार्य दिवस)

(5) आयुक्त महोदय द्वारा नगर परिषद स्वामित्व वाले समुदायिक भवनों, रैन बसेरों, बस स्टैण्ड एवं संस्था द्वारा संचालित सार्वजनिक शौचालय जैसे–सिविल कोर्ट, मधेपुरा, अनुमण्डल पदाधिकारी कार्यालय परिसर, स्टेडियम परिसर, शिवनन्दन प्रसाद मंडल विद्यालय, मधेपुरा के परिसर में अवस्थित सार्वजनिक शौचालयों में दिव्यांगजनों हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाऐं यथा– रैम्प, कॅमोड शौचालय एवं सुगम स्नान की व्यवस्था इत्यादि निर्मित करने का भी निर्देश दियाा गया।

(अनुपालन– नगर परिषद्, मधेपुरा, अनुपालन की समय सीमा 60 कार्य दिवस)

(6) आयुक्त महोदय के द्वारा नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित लघु/अतिलघु उद्योगिक संस्थान का भ्रमण किया गया तथा पाया गया कि उक्त उद्योगो में कम से कम 5 प्रतिशत मजदूर दिव्यागजनों के रूप में कार्यरत नहीं थे। इस पर आयुक्त महोदय के द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी जगहों यथा– मेसर्स सुमन फर्नीचर उद्योग वार्ड नं0–16, मधेपुरा, अजय चूड़ा मिल, मधेपुरा, माँ दुर्गा फलेक्स प्रिन्टिग प्रेस कॉलेज चौक, मधेपुरा, शिव इन्टर प्राईजेज कॉलेज चौक, मधेपुरा, शिव गंगा वाटर, विद्यापुरी, मधेपुरा, एवं भारती डीजल, वार्ड नं0–10, मधेपुरा में कार्यबल के रूप में 5 प्रतिशत मजदूर दिव्यांगजनों कों रखने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा। अनुपालन की समय सीमा 60 कार्य दिवस)

उपरोक्त वर्णित सभी बिंदुओं के अनुपालन हेतु राज्य आयुक्त निःशक्तता, पटना, बिहार द्वारा तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा का निर्देश प्राप्त है।

16/10/19 — 16/10/19 — 16/10/19

कार्यपालक पदाधिकारी	महाप्रबंधक,	अनुमण्डल पदाधिकारी
नगर परिषद, मधेपुरा।	जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा।	मधेपुरा।

Scanned with CamScanner

दिनांक– 16.10.2019 को राज्य निःशक्तता आयुक्त, पटना, बिहार तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा द्वारा मधेपुरा नगर क्षेत्रान्तर्गत रेलवे स्टेशन, शहर में स्थित शॉपिंग कम्पलेक्स, सामुदायिक भवनों, सरकारी भवनों, होटलों, स्कूलों के भ्रमण के दौरान आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निदेशों के आलोक में दिव्यांगजनों हेतु मूलभूत सुविधाओं की बहाली के निमित्त लिए गये निर्णय।

---

(01) मधेपुरा रेलवे स्टेशन पर टिकट काउण्टर में से दिव्यांगजनों हेतु कोई काउण्टर नहीं था और न ही बने काउण्टर पर दिव्यांगजनों के जाने हेतु रैम्प सही ढ़ंग से बना हुआ था। साथ ही रेलिंग भी नहीं बना हुआ था। प्लेटफार्म पर दिव्यांगजनों के बैठने हेतु कोई स्थल निर्धारित नहीं था। साथ ही प्लेटफार्म पर दिव्यांगजनों हेतु ट्रेन की बोगी कहाँ रूकेगी, इस बारे में कोई चिन्ह नहीं दर्शाया गया था।

एक नम्बर प्लेटफार्म से दूसरे नम्बर के प्लेटफार्म पर जाने के लिए दिव्यांगजनों के लिए कोई सुविधा नहीं था।

राज्य आयुक्त निःशक्तता, पटना, बिहार द्वारा उपरोक्त विसंगतियों को 60 कार्य दिवस के अन्दर निराकरण करते हुए उसका अनुपालन प्रतिवेदन स्टेशन अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा देने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन– स्टेशन अधीक्षक, मधेपुरा रेलवे स्टेशन,
अनुपालन की समय सीमा 60 कार्य दिवस)

(02) मधेपुरा शहर स्थित वी–मार्ट शॉपिंग कम्पलेक्स, होटल यथा– मिडवे एवं होटल ग्रांड लखनऊ तथा महेश्वरी होटल, गुलजारबाग, वार्ड नं0– 20, मधेपुरा, होटल एस0के0, होटल मधेपुरा आदि इत्यादि के भ्रमण के दौरान दिव्यांगजनों हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का अभाव पाया गया, जो कि The Right of Person with Disability acts 2016 के सेक्सन–3 एवं सेक्सन–40 का उल्लंघन है। उपरोक्त वर्णित अधिकांश भवनों में दिव्यांगजनों हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं यथा– रैम्प (रेलिंग सहित), पार्किंग सुविधा, उपरी तल पर जाने हेतु रैम्प अथवा लिफ्ट, दिव्यांगजनों हेतु अलग से सुगम काउण्टर, शौचालय, यूरिनल के अन्दर तक व्हील चेयर से पहुँचने की सुगमता एवं कॅमोड की सुविधा का अभाव पाया गया। साथ ही शॉपिंग कम्पलेक्स एवं बड़े होटल में कम–से–कम 5 प्रतिशत स्टाफ दिव्यांगजन के रूप में कार्यरत नहीं थे। दिव्यांग ग्राहकों के बैठने हेतु तथा उनके सुविधाओं को इंगित करने हेतु चिन्ह (यथा– लिफ्ट में ब्रेल बटन) इत्यादि नहीं दर्शाए गये थे। आयुक्त महोदय द्वारा इससे नाखुशी जताई गई तथा उपरोक्त खामियों को 30 दिनों के अन्दर निराकरण करने का निर्देश दिया गया। आयुक्त महोदय द्वारा शॉपिंग कम्पलेक्स, होटल इत्यादि चलाने हेतु आवश्यक सभी तरह के अनुज्ञप्ति यथा (Trade Licence, Food Safety Licence, Fire Safety Licence, Weight & Measurement Licence, Light & Sound हेतु NOC) इत्यादि सभी जरूरी अनुज्ञप्ति की जाँच की गई तथा उसे Up to date/Renewal कराने तथा नहीं होने की स्थिति में अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन– सभी शॉपिंग कम्पलेक्स, होटल आदि।
अनुपालन की समय सीमा 30 कार्य दिवस)

Scanned with CamScanner

(03) मधेपुरा शहर स्थित सरकारी/निजी महाविद्यालय, विद्यालय एवं शिक्षण संस्थान यथा– टी0पी0कॉलेज, पार्वती साइन्स कॉलेज, कामर्स कॉलेज, मधेपुरा कॉलेज, लॉ कॉलेज, रासबिहारी उच्चतर माध्यामिक विद्यालय, शिवनन्दन प्र0 मण्डल उच्चतर माध्यामिक विद्यालय, टी0पी0 कॉलेजिएट उच्चतर माध्यामिक विद्यालय, केशव कन्या उच्चतर माध्यामिक विद्यालय, हॉली क्रास स्कूल, किरण पब्लिक स्कूल, जितेन्द्र पब्लिक स्कूल इत्यादि के भ्रमण के दौरान दिव्यांगजनों हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं यथा– रैम्प (रेलिंग सहित) दिव्यांगजनों हेतु अलग से सुगम काउंटर, शौचालय, यूरिनल के अन्दर तक व्हील चेयर से पहुँचने की सुगमता एवं कॅमोड की सुविधा का अभाव पाया गया। दिव्यांगजनों के बैठने खामियों को 60 दिनों के अन्दर निराकरण करने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन– जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा एवं कार्यपालक अभि0, भवन निर्माण विभाग, मधेपुरा, प्राचार्य निजी महाविद्यालय एवं प्रधानाध्यापक निजी स्कूल, मधेपुरा। अनुपालन की समय सीमा 60 कार्य दिवस)

(4) मधेपुरा शहर स्थित पथ निर्माण विभाग (RCD)/नगर परिषद द्वारा निर्मित रोड पर स्पीड ब्रेकर का निर्माण दिव्यांगजनों के आवागमन की सुविधा/ सुगमता को ध्यान में रखते हुए किए जाने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन–कार्यपालक अभि0, पथ निर्माण विभाग, (RCD) मधेपुरा। अनुपालन की समय सीमा 60 कार्य दिवस)

(5) आयुक्त महोदय द्वारा नगर परिषद स्वामित्व वाले समुदायिक भवनों, रैन बसेरो, बस स्टैण्ड एवं संस्था द्वारा संचालित सार्वजनिक शौचालय जैसे–सिविल कोर्ट, मधेपुरा, अनुमण्डल पदाधिकारी कार्यालय परिसर, स्टेडियम परिसर, शिवनन्दन प्रसाद मंडल विद्यालय, मधेपुरा के परिसर में अवस्थित सार्वजनिक शौचालयों में दिव्यांगजनों हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ यथा– रैम्प, कॅमोड शौचालय एवं सुगम स्नान की व्यवस्था इत्यादि निर्मित करने का भी निर्देश दियाा गया।

(अनुपालन– नगर परिषद, मधेपुरा, अनुपालन की समय सीमा 60 कार्य दिवस)

(6) आयुक्त महोदय के द्वारा नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित लघु/अतिलघु उद्योगिक संस्थान का भ्रमण किया गया तथा पाया गया कि उक्त उद्योगो में कम से कम 5 प्रतिशत मजदूर दिव्यागजनों के रूप में कार्यरत नहीं थे। इस पर आयुक्त महोदय के द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी जगहों यथा– मेसर्स सुमन फर्नीचर उद्योग वार्ड नं0–16, मधेपुरा, अजय चूड़ा मिल, मधेपुरा, माँ दुर्गा फलेक्स प्रिन्टिग प्रेस कॉलेज चौक, मधेपुरा, शिव इन्टर प्राईजेज कॉलेज चौक, मधेपुरा, शिव गंगा वाटर, विद्यापुरी, मधेपुरा, एवं भारती डीजल, वार्ड नं0–10, मधेपुरा में कार्यबल के रूप में 5 प्रतिशत मजदूर दिव्यांगजनों कों रखने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा। अनुपालन की समय सीमा 60 कार्य दिवस)

उपरोक्त वर्णित सभी बिंदुओं के अनुपालन हेतु राज्य आयुक्त निःशक्तता, पटना, बिहार द्वारा तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा का निर्देश प्राप्त है।

16/10/19	16/10/19	16/10/19
कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, मधेपुरा।	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा।	अनुमण्डल पदाधिकारी मधेपुरा।

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक ...1177.../न0प0, मधेपुरा, दिनांक ...16/10/19.../

प्रतिलिपि : राज्य आयुक्त निःशक्तता, पटना, बिहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि : मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–उपविकास आयुक्त, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : सहायक निदेशक समाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्राचार्य निजी महाविद्यालय/निजी स्कूल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : स्टेशन अधीक्षक, रेलवे स्टेशन, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/10/19 — कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा।

16/10/19 — महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा।

16/10/19 — अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा।

Scanned with CamScanner